



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ज्येष्ठ 11, 1940

No. 195]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/JYAISTHA 11, 1940

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना (संशोधन)

सं. 6/टीडीआरओ/8/2018.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 के खण्ड 3, 8 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा वर्तमान हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं. 2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17.04.2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं. 4/टीडीआरओ/8/2010, दिनांक 31.03.2010 तथा 05/टीडीआरओ/8/2015, दिनांक 02.09.2015 में, हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना, 2010 के साथ संलग्न परिशिष्ट-I में परिवर्तन के द्वारा संशोधित करती हूँ।

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना, 2010 का यथा संशोधित परिशिष्ट-I संलग्न है।

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं. 2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17.04.2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं.04/ टीडीआरओ/8/2010, दिनांक 31.03.2010 तथा 05/टीडीआरओ/8/2015, दिनांक 02.09.2015 की अन्य शर्तों एवं विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2018 से लागू होगी।

डॉ. कविता गुप्ता, वस्त्र आयुक्त

परिशिष्ट – I**त्रैमासिक हैंक यार्न पैकिंग विवरणी**

(हैंक यार्न अधिसूचना 2003 के खण्ड-5, सं.2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17 अप्रैल, 2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं. 04/टीडीआरओ/8/2010, दिनांक 31 मार्च, 2010 एवं सं. 05/टीडीआरओ/8/2015, दिनांक 2 सितंबर, 2015 के अंतर्गत।)

नोट : परिशिष्ट –I को वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के दूसरे माह की 10 तारीख तक या उससे पहले ऑनलाइन "www.txcindia.gov.in" पर दिए गए लिंक के माध्यम से जमा किया जाए।

भाग (00) पहचान के विवरण

1. वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी मिल के सिरीयल नं./टीयूआईडी संख्या _____
2. मिल का नाम एवं पता _____

3. कताई अथवा कंपोजिट यूनिट _____
4. प्रबंधन का स्वरूप (एन टी सी/ एस टी सी/ सहकारी / निजी / अन्य) _____
5. त्रैमासिक विवरणी _____ को समाप्त अवधि हेतु है।

भाग (01) सूती (कॉटन) यार्न के उत्पादन, पैकिंग एवं हैंक यार्न बाध्यता का विवरण

(कि. ग्रा. में)

1.	पूर्णतः रूई तथा/ अथवा उसके अपशिष्ट से बनाए गए / काते गये यार्न से उत्पादित एवं पैक किया गया कुल कॉटन यार्न	
2.	उस कॉटन यार्न का पैकिंग विवरण (मात्रा) जिसे हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना – 2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना – 2010 के अन्तर्गत न आता हो / उससे छूट प्राप्त हो (प्रत्येक मद के पूष्टि में दस्तावेज रखें जाएं।)	
क)	होजियरी यार्न	
ख)	सिलाई के धागे	
ग)	औद्योगिक यार्न	
घ)	विभिन्न काउण्टों के मिश्रित यार्न, जो कॉप बाटम से रील ऑफ किये गये हों	
च)	सिंगल काउंट का यार्न जिसे कॉप बाटम से रील ऑफ किया गया हो जिसके छोर खुले हो अथवा कम लम्बाइयों पर गाँठें हों	
छ)	भारत से बाहर निर्यात किया गया यार्न	
ज)	यार्न की आपूर्ति जिसे निर्यात माना (डीमड एक्सपोर्ट) गया हो (जैसा कि आयात – निर्यात नीति में परिभाषित किया गया है)	
झ)	ऐसे यार्न जिन्हें स्वयं उपभोग किया गया हो।	
ट)	कुल छूट प्राप्त यार्न [स्तंभ सं.(क) से (झ) तक]	
3.	जन/घरेलू खपत के लिए पैक किया गया कॉटन यार्न (बाध्यकारी किस्में) (1-2)	

भाग (02) जन/घरेलु खपत के लिए पैक किया गया सूती (कॉटन) यार्न (बाध्यकारी किस्में)

कि.ग्रा.में

पैकिंग का प्रकार/विवरण		पूर्ण रूई से युक्त यार्न और/अथवा उसके अपशिष्ट से तैयार यार्न		
		80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउण्ट	योग [(1) + (2)]
0		(1)	(2)	(3)
(क)	हैंक (बाहर से हैंक रूप में रील किए गए यार्न सहित)			
(ख)	कोन / चीज, पर्न, बीम इत्यादि			
(ग)	जन / घरेलु खपत के लिए पैक की गयी कुल कॉटन यार्न की मात्रा [(क)+(ख)]			
(घ)	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता (है.या.पै.बा.)			
(च)	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पूर्ण करने में हुई कमी [(घ)-(क)]			
(छ)	स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पूर्ण करने के बाद की अधिक मात्रा [(क)-(घ)]			
(ज)	कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमें वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)			

भाग (03) कुल बेचे गए हैंक यार्न का विवरण (इसमें वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)

कि.ग्रा.में

5. कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमें वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)		80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउण्ट	कुल [(1)+(2)]
		(1)	(2)	(3)
(क)	घरेलु स्तर पर बेचा गया हैंक यार्न	एनएचडीसी		
		निजी पार्टियाँ जिसमें निर्यातक शामिल हैं		
		अपेक्स/सहकारी सोसायटियाँ		
(ख)	हैंक यार्न जिसका भारत के बाहर निर्यात किया गया			
(ग)	कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमें वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया) [(क)+(ख)]			

भाग (04) हैंक यार्न का भंडारण

कि.ग्रा.में

1. हैंक यार्न का भंडारण							
माह (1)	बिक्री न किया गया माल (2)			बिक्री किया गया किन्तु उठाया न गया भंडारण (3)			कुल भंडारण [(2)+(3)] (4)
	80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउंट	कुल	80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउंट	कुल	
(क)	तिमाही के पहले माह के अंतिम दिन भंडारण						

(ख)	तिमाही के दूसरे माह के अंतिम दिन भंडारण							
(ग)	तिमाही के तीसरे माह के अंतिम दिन भंडारण							

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त ब्यौरे सही एवं यथार्थ है। हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की पूर्ति के लिए परिशिष्ट-II बन्ध आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि, जिसके लिए परिशिष्ट-I को जमा किया गया है, की समाप्ति के दूसरे माह की समाप्ति तक या उससे पहले ऑनलाइन "www.txcindia.gov.in" पर दिए गए लिंक के माध्यम से जमा किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (मिल के प्रबंधक) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (चा.अ.) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ है।

मिल के प्रोप्राइटर/ भागीदार/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं तिथि

चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कास्ट अकाउंटेंट के हस्ताक्षर एवं तिथि

(मिल का नाम एवं मुहर)

(नाम एवं पंजीयन संख्या सहित)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER)

New Delhi, the 25th May, 2018

HANK YARN PACKING NOTIFICATION (AMENDMENT)

No. 6/TDRO/8/2018.—In exercise of the powers conferred on me under clause 3, 8 & 11 of the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001 issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, I hereby amend the existing Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003, dated 17.04.2003 read with amendment Notifications No. 04/TDRO/8/2010 dated 31.03.2010 and No. 05/TDRO/8/2015, dated 02.09.2015, by revising Annexure-I, appended to Hank Yarn Packing Notification, 2010.

Annexure-I appended to Hank Yarn Packing Notification, 2010 as revised is enclosed.

All other terms and conditions mentioned in the Hank Yarn Packing Notification No.2/TDRO/8/2003, dated 17.04.2003 read with amendment Notifications No. 04/TDRO/8/2010, dated 31.03.2010 and No. 05/TDRO/8/2015, dated 02.09.2015, will remain unchanged.

This notification shall come into force w.e.f. the 1st of April, 2018.

Dr. KAVITA GUPTA, Textile Commissioner

ANNEXURE-I**QUARTERLY HANK YARN PACKING RETURN**

(Under clause 5 of HYN 2003, No. 2/TDRO/8/2003, dated 17th April, 2003 read with amendment Notifications No. 04/TDRO/8/2010 dated 31st March, 2010 and No. 05/TDRO/8/2015 dated 2nd September, 2015)

Note: The Annexure-I, is to be submitted to the jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner so as to reach the said offices on or before the 10th of the Second month after the expiry of the concerned quarterly period online through the link provided on “www.txcindia.gov.in”

Part (00) Identification particulars

1. Mill's Serial No. / TUID issued by Office of the Textile Commissioner _____
2. Mill's Name and address _____

3. Whether Spinning or Composite unit _____
4. Nature of Management (NTC/ STC/ Co-operative/ Private/ Others) _____
5. Quarterly return pertaining to the period ending on _____

Part (01) Details regarding Cotton Yarn Production, Packing Details and Hank Yarn Obligation

In Kgs.

1.	Total Cotton Yarn Produced and Packed in regard to yarn made /spun wholly from cotton and/or its waste.	
2.	Packing details (quantity) of Cotton Yarn exempted from / not falling within the purview of Hank Yarn Packing Notification - 2003 read with amendment Notification - 2010 (Supporting documents should be maintained for each item)	
(a)	Hosiery Yarn	
(b)	Sewing Thread	
(c)	Industrial Yarns	
(d)	Mixed yarn of various counts reeled off from cop bottoms	
(e)	Yarn comprising single count yarn reeled off from cop bottom having loose ends or knots at short lengths	
(f)	Yarn exported out of India	
(g)	Yarn delivered as deemed exports (as defined in Export and Import Policy)	
(h)	Yarn used for captive consumption	
(i)	Total yarn exempted [Row. Nos. (a) to (h)]	
3.	Cotton Yarn packed for Civil / Domestic Consumption (Obligatory Varieties) (1-2)	

Part (02) Cotton Yarn packed for Civil / Domestic Consumption (Obligatory Varieties)

In Kgs.

4. Cotton Yarn packed for Civil / Domestic Consumption (Obligatory Varieties)			
Description / Form of packing	Yarn made /spun wholly from cotton and/or its waste.		
	Count 80s & below	Count above 80s	Total [(1)+(2)]
(0)	(1)	(2)	(3)
(a) Hank (including yarn reeled into hank form from outside reelers)			
(b) Cone / Cheese, Pirns, Beam, etc.			
(c) Total quantity of cotton yarn packed for civil / domestic consumption [(a)+(b)]			
(d) Hank Yarn Packing Obligation (H.Y.P.O.)			
(e) Shortfall in fulfilment of hank yarn packing obligation [(d)-(a)]			
(f) Excess hank yarn packing after fulfilling own obligation [(a)-(d)]			
(g) Total hank yarn sold (including hank yarn sold but not lifted)			

Part (03) Details of total hank yarn sold (including hank yarn sold but not lifted)

In Kgs.

5. Details of total hank yarn sold (including hank yarn sold but not lifted)		Count 80s & below	Count above 80s	Total [(1)+(2)]
		(1)	(2)	(3)
(a) Hank Yarn sold Domestically	NHDC			
	Private parties including exporter			
	APEX / Co-operative societies			
(b) Hank Yarn Exported out of India				
(c) Total hank yarn sold (including hank yarn sold but not lifted) [(a) + (b)]				

Part (04) Stock of Hank Yarn Held

In Kgs.

6. Stock of Hank Yarn Held							
Month (1)	Unsold Stock (2)			Stock sold but not lifted (3)			Total Stock [(2)+(3)] (4)
	Count 80s & below	Count above 80s	Total	Count 80s & below	Count Above 80s	Total	
(a) Stock on last day of the 1 st month of the quarter							
(b) Stock on last day of the 2 nd month of the quarter							
(c) Stock on last day of the 3 rd month of the quarter							

Certified that the particulars furnished above are true and correct. For fulfilment of shortfall H.Y.P.O., the Annexure –II shall be submitted online through the link provided on “www.txcindia.gov.in” so as to reach jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner on or before the end of the second month after the expiry of quarterly period for which this Annexure-I is submitted.

Certified that the particulars furnished above are verified and found to be true and correct to the best of my (Mills management) knowledge and belief

Certified that the particulars furnished above are verified and found to be true and correct to the best of my (C.A.'s) knowledge and belief.

Signature (with date) of the Proprietor / Partner/
MD/Director / Authorised Signatory of the mill.
(Name & Seal of the Mill)

Signature (with date) of the Chartered Accountant /
Cost Accountant (with Name and Enrolment No. of
C.A.)